The House reassembled after lunch at two of the clock,
MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair.*

GOVERNMENT BILLS

The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2022

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Minister to move a motion for consideration of the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2022.

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका सिंह सरुता) : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ :

"कि त्रिपुरा राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कतिपय समुदाय को सम्मिलित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।"

The question was proposed.

श्री उपसभापति : माननीया मंत्री जी, क्या आप कुछ बोलना चाहेंगी?

श्रीमती रेणुका सिंह सरुता : महोदय, मैं बाद में बोलूँगी।

श्रीमती फूलो देवी नेतम (छत्तीसगढ़) **:** उपसभापति महोदय, मैं आपकी आभारी हूँ कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर दिया। आज संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022 पर चर्चा की जा रही है। मैं इस बिल के बारे में विस्तार से बताना चाहती हूँ। त्रिपुरा ने 'डार्लोंग' को अनुसूचित जनजाति की सूची में जोड़ने का अनुरोध किया था। 25 अगस्त, 2014 को जनजाति आयोग द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया। 25 मई, 2016 को मोदी कैबिनेट ने इसे अप्रूव किया और 14 दिसम्बर, 2016 को इसको लोक सभा में पेश किया, लेकिन चर्चा नहीं हुई। इसके बाद त्रिपुरा की माँग को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।

उपसभापति महोदय, 07 फरवरी, 2022 को इस बिल को लोक सभा में पेश किया गया और 25 मार्च, 2022 को इसे लोक सभा से पास किया गया। आज यह बिल राज्य सभा में चर्चा के लिए लाया गया है।

उपसभापति महोदय, संविधान के अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजाति की सूची है और अनुच्छेद 342 (2) में प्रावधान है कि संसद द्वारा कानून बना कर लिस्ट संशोधित की जा सकती है। वर्ष 1950 में अधिकांश राज्यों में यह सूची बनी थी। त्रिपुरा राज्य की अनुसूचित जनजातियों की

सूची अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 (2003 का 10) द्वारा संशोधित की गई थी। आज इस बिल के माध्यम से संविधान संशोधन करके त्रिपुरा की अनुसूचित जनजाति की सूची में 'कुकी' जनजाति की उपजातियों में 'डार्लोंग' समुदाय को शामिल किया जा रहा है। इससे 'डार्लोंग' जनजाति को आरक्षण का लाभ मिल सकेगा।

उपसभापति महोदय, हम आदिवासी, दलित और पिछड़े समुदाय के लोगों के लिए आरक्षण की लड़ाई क्यों लड़ते हैं? हम यह लड़ाई इसलिए लड़ते हैं, क्योंकि इससे हमारा सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन दूर होगा, लेकिन हमें दो तरफ लड़ना पड़ता है, दोनों तरफ लड़ना पड़ता है। पहले तो संविधान से मिले अधिकारों का लाभ लेने के लिए और दूसरा उन अधिकारों की सुरक्षा के लिए। यहाँ तो कभी भी आरक्षण समाप्त करने की बात शुरू कर दी जाती है।

महोदय, हमारे सामने बहुत समस्याएं हैं। 35 प्रतिशत लोग भूमिहीन हैं और मजदूरी कर रहे हैं, 74 प्रतिशत लोग बेहद गरीब हैं, 86 प्रतिशत आदिवासियों की आमदनी पाँच हज़ार से भी कम है और आजकल तो वह भी नहीं मिल रही है। हमारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। सरकारी कंपनियाँ बेची जा रही हैं, निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं है, पदोन्नति में आरक्षण नहीं है और न्यायपालिका में भी आरक्षण नहीं है। महोदय, संविधान के अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन का प्रावधान किया गया है, लेकिन उसका गठन भी नहीं हो रहा है। अत्याचार बढ़ रहा है। वर्ष 2020 में आदिवासियों पर 9.3 प्रतिशत अत्याचार बढ़ा है और अत्याचार के 96.5 प्रतिशत केसेज़ न्यायालय में लंबित हैं। महोदय, आदिवासियों के लिए बनी योजनाओं पर आवंटित बजट को पूरा खर्च नहीं किया जाता, ऐसे में आदिवासियों को लाभ कैसे मिल पाएगा? महोदय, वित्तीय वर्ष 2022-23 में आदिवासियों के विकास के लिए कुल 89,265 करोड़ रुपये का बजट दिया गया, लेकिन जनजातीय कार्य मंत्रालय को उसमें से केवल 8,451 करोड़ रुपये, यानी लगभग नौ प्रतिशत ही दिया गया। आदिवासियों के विकास के लिए जो पैसा मिला, उन पर उसका दस प्रतिशत भी खर्च नहीं हुआ। 90 प्रतिशत पैसा ऐसी योजनाओं पर खर्च किया जा रहा है, जो सबके लिए बनी होती हैं।

महोदय, बिल के वित्तीय ज्ञापन में लिखा है कि संभावित अतिरिक्त व्यय का estimate लगाना संभव नहीं है, इसलिए यदि कोई व्यय होगा, तो उसे अनुमोदित बजटीय परिव्यय के अंदर समायोजित किया जाएगा। महोदय, यदि हमारे घर में कोई मेहमान आता है, हमारे घर में कोई परिजन आता है, तब हम सोचते हैं कि एक कटोरी ज्यादा चावल डालें, क्योंकि उसको भी भूख लगी होगी, उसको भी खाना खिलाना है। इस आधार पर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि जब इसमें डार्लोंग जनजाति को जोड़ा जा रहा है, तो त्रिपुरा को अतिरिक्त धनराशि पहले ही मुहैया करानी चाहिए। महोदय, मैं हमेशा कहती हूँ कि देश की आबादी में 8.6 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाले आदिवासी समुदाय को बजट में आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी दी जाए, इसलिए मैं सरकार से माँग करती हूँ कि इन समस्याओं की तरफ भी ध्यान दिया जाए।

महोदय, आज त्रिपुरा की डार्लोंग जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों ने भी केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजे हैं। छत्तीसगढ़ में भारिया, भूमिया, धनवार, नगेसिया और सवर जनजातियों को अनुच्छेद 342 में अधिसूचित करने के लिए मोदी कैबिनेट ने 13 फरवरी, 2019 को छत्तीसगढ़ सरकार के अनुरोध

को एप्रूव कर दिया था। इसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने सौरा, भारिया, भूमिया, धनवार, नगेसिया, धांगड, बिंडिया, गदवा, कोंद, कोडाकू, पंडो, भारिया और गोंड आदि समुदायों को भी जोड़ने के लिए जनजाति कार्य मंत्रालय से दिनांक 15 अक्टूबर, 2020, 8 फरवरी, 2021 और 6 दिसंबर, 2021 को पुनः पत्राचार किया है।

महोदय, इसी तरह अनुसूचित जाति की सूची में महार जाति को जोड़ने के लिए भी प्रस्ताव भेजे गए हैं, लेकिन ये सभी प्रस्ताव केन्द्र के पास लम्बित हैं।

उपसभापति महोदय, जैसा कि मैंने बताया, डार्लोंग को अनुसूचित जनजाति की सूची में जोड़ने के प्रस्ताव को 2016 में कैबिनेट ने एप्रूव कर दिया था। चूंकि एक साल बाद, यानी मार्च, 2023 में त्रिपुरा में विधान सभा चुनाव हैं, इसलिए सरकार को वहाँ के आदिवासियों की याद आ गई है और इस बिल को सदन में चर्चा के लिए लाया गया है। महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ में तो दिसम्बर, 2023 में चुनाव हैं। चुनाव को देखते हुए संविधान संशोधन प्रस्ताव लाया जाएगा, तो आदिवासियों को न्याय मिलने में बहुत देर हो चुकी होगी। ...**(समय की घंटी)**... महोदय, मैं एक मिनट में समाप्त करूँगी।

श्री उपसभापति : इस बिल के लिए एक घंटे का ही समय है।

श्रीमती फूलो देवी नेतम : अतः इस बिल का समर्थन करते हुए मैं सरकार से माँग करती हूँ कि वह छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों से भेजे गए प्रस्तावों पर भी शीघ्र विचार करे और सदन में संविधान संशोधन विधेयक लेकर आए, जिससे मुख्य धारा से छूट चुके आदिवासी, दलित और पिछड़े समुदायों को आरक्षण का लाभ दिया जा सके।

श्री उपसभापति : धन्यवाद।

श्रीमती फूलो देवी नेतम : महोदय, इसी तरह बिहार में गोंड हैं। ...**(समय की घंटी)**... जब उनका नाम अंग्रेज़ी से अनुवाद करके हिन्दी में लिखा जाता है, तो उसमें हलन्त तथा उच्चारण में छोटी-छोटी गलतियाँ हो जाती हैं। उसके कारण उन जातियों के सामने परेशानियाँ आई हैं, इसलिए उसको सुधारा जाए। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : धन्यवाद। श्री मानिक साहा।

श्रीमती फूलो देवी नेतम : महोदय, मैं आधे मिनट का समय और चाहूँगी। ...**(व्यवधान)**... *

श्री उपसभापति : अब आपकी बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है। ...**(व्यवधान)**...जो समय है, उससे अधिक मैं नहीं दे सकता, आप ज्यादा बोल चुकी हैं। ...**(व्यवधान)**... श्री माणिक साहा जी, अब केवल आपकी बात ही रिकॉर्ड पर जाएगी। ...**(व्यवधान)**...

---

* Not recorded.

SHRI MANIK SAHA (Tripura): MR. DEPUTY CHAIRMAN, Sir, I support the Bill to amend the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 for inclusion of a certain community, that is, Darlong, in the list of Scheduled Tribes of Tripura State.

Sir, for a long time, inclusion of this Darlong community in the list of Scheduled Tribes is pending. I want to tell you that in 2002, from the Tribal Welfare Department of the Government of Tripura, they had one memorandum for the Council of Ministers and they sent this memorandum to the Government of India. They wrote for inclusion of Darlong tribe as a separate sub-tribe under the Kuki community in the list of Scheduled Tribes of Tripura. But nothing was done during that time. A committee was formed by the then Government of Tripura for inclusion of Darlong. It was sent to the Government of India in 2003. But there was no response from the Government of India. It is now done after our hon. Chief Minister, Shri Biplab Kumar Deb, wrote a letter to the Government of India. This Darlong community was deprived for a long time, as I said earlier. Now, it has come into reality because of this Bill. There are 19 tribal communities in Tripura State, namely, Tripuri/Debbarma, Reang/Bru, Jamatia, Noatia, Uchoi, Chakma, Mog, Lushai, Kuki, Munda, Oram/Orang, Santal, Bhutia, Halam, Lepcha, Garo, etc. Darlong is a tribal community of Tripura, which has a population of only 11,000. Although the population is very less, yet the community has high prevalence of education and cultural activities. The members of this community serve in senior positions in the local administration, army, paramilitary forces, etc.

One example with the cultural activity of this community is a tribal musicologist, about whom you might have heard, and Rosen (tribal instrument) master "Thanga Darlong" who was awarded the prestigious Padma Shri a few years ago for his contribution in culture. He belongs to this Darlong community. The Bill would give justice to the Darlong community. In view of this Bill, the living condition of the Darlong community would be good as well as help improvement in education, health etc. It is a reflection of *'Sabka Saath, Sabka Vikaas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas'* of our hon. Prime Minister Modi*ji*. This is the motto of BJP-led Central Government. The Central Government led by hon. Prime Minister Shri Narendra Modi is working for the development of everyone and this is a direct reflection. Therefore, I thank the hon. Prime Minister Shri Narendra Modi and the Union Tribal Welfare Ministe,r Shri Arjun Munda for this historical Bill. Again, I support the Bill. Thank you.

DR. SANTANU SEN (West Bengal): Sir, in reality, it is very, very painful to see the *dalits* getting mob lynched. It is even more painful to see that the Union Ministers

take food from 7 star hotels to their houses, sit there and eat there just to catch votes and then once again start ignoring them. It is very unfortunate.

Article 342 of Indian Constitution speaks about Scheduled Tribes. India has 427 tribal communities of which 130 major categories are from North East India. If we count the sub-tribes, it comes to around 300. Sir, 9 per cent of total Indian population belongs to them. Unfortunately, 92 per cent of them stay in the remote villages without having any proper access to health, education, transport, drinking water etc.

So far as Tripura is concerned, incidentally and fortunately, I got an opportunity to visit that double engine run Tripura for several purposes including political purposes. In true sense, I got the opportunity to experience how miserable the situation is so far as the lifestyle of these tribals are concerned. One-third population of total Tripura belongs to Scheduled Tribes. 19 Tribes are there. I must tell my previous speaker, who happens to be the State BJP President of Tripura, they are not at all concerned about these Tribes. They have never fulfilled their pre-poll policies and that is why our supremo Madam Mamata Banerjee became so much concerned. My humble submission is that if you cannot fulfil your pre-poll promises, give it to us, we would fulfil it. The Report of Tripura Tribal Area Autonomous District Council says that Infant Mortality Rate is maximum in Dhalai district due to poor knowledge about breastfeeding. Maternal Mortality Rate is extremely high because of lack of knowledge about health, hygiene and malnutrition and still, even today, the rate of institutional delivery is less so far as the tribal communities are concerned. Other health issues from which they are suffering are Goitre, Pellagra, Anaemia, Beri-beri, vitamin deficiency and Sexually Transmitted Diseases including HIV.

So far as education is concerned, more than 20 per cent school dropout cases are there. There is still gender inequality existence. So far as the Gross Enrollment Ratio is concerned, when the national average is 26.3 per cent, in Tripura, for SCs, it is 23 per cent and for STs, it is 17 per cent. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*...

DR. SANTANU SEN: Because of poor literacy, major Tribals of Tripura could not register themselves under the Tripura Land Revenue and Land Reforms Act, 1960. That is why they are still considered as encroachers most unfortunately. Even during this post-Covid employment generation, the budget was decreased. For SCs, earlier it was Rs.171 crores and it has come down to Rs.23 crores. For STs, it was Rs.89 crores and it has come down to Rs.11 crores. The budget for Labour Welfare Scheme

has also been slashed down like anything. I am requesting my previous speaker, please come over to our State of West Bengal. Just see what we have done.

Sir, so far as the literacy rate of STs in West Bengal is concerned -- the national average in Male is 68 per cent -- it is 74 per cent. In Female, it is 49 per cent in Tripura and 51 per cent in our State of West Bengal. There is Aikyashree Project to promote education. There is post-matric scholarship to promote education, and Oasis Scholarship to promote education. There is Jai Johar Pension Scheme, 2022, thousand rupees per month, and free electricity up to 75 units in three months and a dedicated Advisory Council. Instead of using this marginalized section of the society for political purpose, the Government of India must take up this issue seriously. ...*(Time bell rings)*... My final submission will be, as this proposed Bill seeks to amend the ST List to include the Darlong Community as a sub-tribe of Kuki which will enable to get them the benefit of reservation, I sincerely, urge all of you to support this Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. ...*(Time bell rings)*... Thank you Santanu Sen*ji*. ...*(Interruptions)*...

DR. SANTANU SEN: My request to my previous speaker is to please give the opportunity to us to do it as you failed and we will prove that we can do it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Now, Shri M. Mohamed Abdulla.

SHRI M. MOHAMED ABDULLA (Tamil Nadu): MR. DEPUTY CHAIRMAN, Sir, I thank you for the opportunity given to me to speak in this august House on the Bill, namely, the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2022 which includes the Darlong community in the list of STs in Tripura.

I really welcome this Bill which deals with social engineering since it will try to include some of the people of this country who were marginalized even now, due to the hierarchical social system based on underlying notions of purity and pollution which further denies mass participation in the development of the nation.

We should note here that even after seventy two years since we framed our Constitution, we are still identifying the marginalized communities to be added under Scheduled Castes and Scheduled Tribes from each State. I am also sure that it will continue.

Sir, not only in Tripura, we are yet to do this social engineering exercise across the nation. I would like to remember this august House that in 2016, our beloved

leader and Ex-Chief Minister, Dr. Kalaignar requested then Prime Minister to include the fishermen community also in Scheduled Tribes list. And, yet, it has been a standing demand for a long time. I think, only in Karnataka, it has been included, and in other areas, it has not been included.

Even the Mandal Commission's Report on Backward Classes had said that certain sections of occupational communities like the fishermen and *banjaras* were still suffering from the stigma of untouchability and had suggested that these castes to be considered for inclusion in the list of Scheduled Tribes.

Apart from this, the MS Swaminathan Committee had also recommended considering a separate legislation, on the lines of the Scheduled Tribes for recognizing the traditional rights and fishing occupation of the fishermen community.

Not only those who live in forest and its nearby rural areas but also the ninety per cent of fishermen involved in small-scale fisheries are often the poorest and most politically and socially marginalized. ...*(Time bell rings)*...

In general, fishing is considered as a very dangerous occupation, and hence, the fishermen community, by their very geographical nature, is socially and educationally akin to the Scheduled Tribes. Their inclusion in ST list, which they deserve in all respects, would enable them to climb up the ladder of life.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you Mohamed*ji*. Thank you. ...*(Time Bell rings)*...

SHRI M. MOHAMED ABDULLA: Hence, I request the hon. Union Government to intervene in this matter and expedite the inclusion of fishermen community also in the Scheduled Tribes list. With this note, I conclude my speech. Thank you, Sir.

श्री उपसभापति : श्रीमती ममता मोहंता जी। आपके पास दो मिनट का समय है।

श्रीमती ममता मोहंता (ओडिशा) : उपसभापति महोदय, आपने मुझे शेड्यूल्ड ट्राइब्स संशोधन बिल पर बोलने का मौका दिया है, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करती हूं। त्रिपुरा राज्य की डार्लोंग जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए शेड्यूल्ड ट्राइब्स संशोधन बिल लाया गया है, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं। महोदय, मेरे ओडिशा राज्य के विभिन्न जिलों के साथ-साथ पड़ोसी राज्य झारखंड एवं पश्चिमी बंगाल में लाखों की संख्या में कुड़मी जाति के लोग रहते हैं। जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी को इस विषय के बारे में पता है। जब वे वर्ष 2004 में झारखंड के मुख्य मंत्री थे, तब कुड़मी महतो जाति को एसटी में शामिल करने के लिए मंत्री जी ने केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था। महोदय, टोटेमिक कुड़मी जाति को वर्ष 1950 में बिना किसी कारण एसटी लिस्ट से हटा दिया गया था।

तथ्य के अनुसार 3 मई, 1913 को तत्कालीन सरकार के गजट नोटिफिकेशन संख्या 550 के अनुसार 13 अनुसूचित जातियों की सूची में कुड़मी जाति के एस.टी. होने का उल्लेख है। सर, कुड़मी महतो जाति एक जनजाति है। कुड़मी महतो जाति की संस्कृति, परम्परा, पूजा-पाठ की अन्य जनजातियों के साथ समानता है।

सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि एक संसदीय समिति का गठन किया जाए और दोबारा कुड़मी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए, धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri B. Lingaiah Yadav.

SHRI B. LINGAIAH YADAV (Telangana): Sir, the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। In Tripura, Darlong is a tribal community of 11,000 people. Despite its small population, the community has a high prevalence of education, cultural activities and the members of the community are serving at different high positions in the local administration. सर, इस बिल का हमारी TRS Party समर्थन कर रही है। सर, इसके संबंध में हमारा suggestion है, क्योंकि इस देश को Independence मिले हुए 75 years हो गए हैं। इस देश में कितनी population है, tribals की population कितनी है, SCs की कितनी population है और BCs की कितनी population है, इसकी गिनती अभी तक नहीं हुई है। इस देश में, किस स्टेट में कौन-से tribals हैं, उनकी कितनी संख्या है, इसकी गिनती करने का अधिकार State Government को देना चाहिए। अभी STs की population ज्यादा हो गई है, इनकी population बहुत ज्यादा हो गई है। हमारे Telangana State में CM, Shri KCR हैं, वहां पर ट्रायबल्स की population 6 परसेंट से बढ़ कर 10 परसेंट हो गई है, हमारी सरकार ने इसे गिनकर सेंट्रल गवर्नमेंट को असेम्बली के माध्यम से प्रतिवेदन भी दिया है, लेकिन अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया है और उसके बारे में बिल ही नहीं आ रहा है। हमारी पार्टी का कहना है कि इस देश में यह कहना कि यह स्टेट है, वह स्टेट है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बल्कि पूरे देश को एक unit की तरह से लेकर अमेंडमेंट करना चाहिए। हमारे पूरे तेलंगाना में ST लोगों की population यदि 500 से अधिक रहे, तो उधर हमारी ग्राम पंचायत बने। **...(समय की घंटी)** ...बाद में एसटीज़ गुरुकुल पाठशालाएं दीं, हम तेलंगाना में agriculture के लिए free electricity दे रहे हैं। हम tribals को Rythu Bandhu Scheme के अंतर्गत 10,000 रुपये दे रहे हैं, Rhythu Bima Scheme के अंतर्गत हमारे KCR जी पांच लाख रुपये दे रहे हैं, हम 'कल्याण लक्ष्मी स्कीम' के तहत शादी के लिए एक लाख रुपये फ्री में ट्रायबल्स को दे रहे हैं। इन ट्रायबल्स के विकास के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को बजट में ज्यादा फंड देना चाहिए, यह मेरा सजेशन है। इसके साथ ही मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Ayodhya Rami Reddy Alla.

SHRI AYODHYA RAMI REDDY ALLA (Andhra Pradesh): Sir, I would like to thank you for allowing me to speak on this Constitution (Amendment) Bill which relates to amending the list of Scheduled Tribes in the State of Tripura. We support the Bill to include the 'Darlong' community as a sub-tribe of 'Kuki' in Entry 9 in the list of Scheduled Tribes in respect of the State of Tripura. There is a need for comprehensive amendment of the Scheduled Tribes list. I would request the Government to look into this and include all the tribes that meet the specific criteria in the list.

Sir, I would take this moment to highlight the issues of Scheduled Tribes, especially, relating to my State, Andhra Pradesh. We have some positive suggestions; inclusion of Gondi language under Eighth Schedule. Gondi is an Indian language spoken by two million people across multiple States. Major concentration of Gondi speakers is present in Madhya Pradesh, Gujarat, Telangana, Maharashtra, Chhattisgarh and Andhra Pradesh. The Gondi language has a unique script and we want this language to be included in the Eighth Schedule of the Indian Constitution. Then, the inclusion of Valmiki, Boya and Kuruma communities of Andhra Pradesh. Valmikis and Boyas are believed to be decedents of Sri Valmiki Maharshi. These are one of the most primate tribes of the region. These communities have traditionally earned their livelihood through hunting and gathering forest produce. Currently, the community is spread across the southern States like Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, and Telangana. The Valmiki Boya community in Andhra Pradesh was included under Scheduled Tribes in scheduled areas and the people from the same community living in other areas were considered as Backward Classes. There is no sufficient rationale behind the differentiation of the Valmiki Boya community living in scheduled areas. So, I would request the Central Government to accept the long-standing demand of the Boya Valmiki community by including the entire community under the Scheduled Tribe category. Similarly, the Kuruma community indicates their descent from Neolithic farming villages in South India. Kuruma is a Hindu caste native to the Indian States of Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Telangana. This community also needs the support. The Central Tribal University of Andhra Pradesh needs support. The Andhra Pradesh Government is doing major projects and supporting various Scheduled Tribes initiatives. Sir, from YSR Congress Party, we support this Bill. I would request the Minister to take our suggestions into account. I would again request him to carry out a comprehensive updating of the Scheduled Tribes List so that the welfare schemes of the Central Government reach the last tribal hamlets as well. Thank you.

DR. M. THAMBIDURAI (Tamil Nadu): MR. DEPUTY CHAIRMAN, Sir, thank you very much for giving the opportunity to speak on this Bill. From the AIADMK Party, we are supporting this Bill brought to include Darlong community in the Scheduled Tribe list in Tripura. At the same time, various Members go on raising the issue to include certain communities in the Backward Classes throughout India, especially, Tamil Nadu. In Andhra Pradesh, as they said, Tamil Nadu Fishermen and Pondicherry Fishermen community must be treated as tribal marine community. That is the long demand which they are requesting. They are the suffering people. In the same way, the Narikuravas community has been included, the Valmiki and Boya Community, as our hon. Member from Andhra Pradesh said, in Karnataka, they are Scheduled Tribes. But, in Andhra Pradesh and Tamil Nadu, they are not included. Therefore, their caste is to be included. Kuruma, Badaga, Irular, and Banjara Communities; these are the communities spreading throughout India. Therefore, I am requesting the hon. Minister to consider this. Many times, our Amma Jayalalithaaji had written, and also our former Chief Minister, Edappadi K. Palaniswami had written so many times to include these communities - Tamil Nadu Fishermen, Narikurvasa, Valmiki, Badagas, Banjara and Irular Communities in the Scheduled Tribes Communities. I request that there must be uniform kind of decision throughout India when State Government is recommending, that they should be considered. Thank you very much.

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस अवसर पर बोलने का मौका प्रदान किया है। महोदय, त्रिपुरा राज्य में कतिपय जातियों को सम्मिलित करने का जो बिल लाया गया है, मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से उसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, इसी तरह से संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश, 1950 की अनुसूची में भाग 18 - उत्तर प्रदेश में, क्रम संख्या 18 में बेलदार के साथ बिन्द, क्रम संख्या 36 में गोंड के साथ गौड़, कहार, कश्यप, बाथम, रैकवार, क्रम संख्या 53 में मझवार के साथ केवट, मल्लाह, निषाद, क्रम संख्या 59 में पासी, तरमाली के साथ भर, राजभर, क्रम संख्या 65 पर शिल्पकार के साथ कुम्हार, प्रजापति और क्रम संख्या 66 में तुरैहा के साथ धीमर, धीवर, तुराहा, तुरहा को परिभाषित किया जाना है। मान्यवर, इनका आपस में रोटी-बेटी का रिश्ता है, एक जैसा खान-पान है। उत्तर प्रदेश की मुलायम सिंह यादव सरकार ने, अखिलेश यादव सरकार ने 2004, 2006, 2007, 2015 और 2016 में केंद्र को प्रस्ताव भेजा था, जो कि भारत सरकार के पास लंबित है। मान्यवर, जिस तरह से EWS के लिए 10 प्रतिशत का आरक्षण कर दिया गया था, उस संदर्भ में आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि ये जातियाँ सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर बहुत पिछड़ी हुई हैं। **..(समय की घंटी)..**उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति सूची में अलग से नहीं जोड़ना है, इसलिए मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि यह प्रस्ताव, जो भारत सरकार के पास लंबित है, इसमें हमारी कतिपय जातियों को - जो 17 पिछड़ी जातियाँ हैं, उनको अनुसूचित जाति में

परिभाषित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 341 में संशोधन करने की कृपा करें। उपसभापति जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपसभापति : धन्यवाद माननीय विशम्भर प्रसाद जी। माननीय अब्दुल वहाब - अनुपस्थित, श्री रामजी - अनुपस्थित। माननीय संदोष कुमार जी, आप बोलिए।

SHRI SANDOSH KUMAR (Kerala): Sir, I support the inclusion of Darlong community in the Scheduled Tribes list. But, it has nothing to do with the unwanted claim made by the Treasury Benches. They were claiming as if this very list was introduced by the current ruling dispensation. Sir, there are demands from various communities of different States to include them in this list. But, the actual question is whether mere inclusion of these communities will serve the purpose of upliftment of these communities. This is the most important question and we have to answer that question. Unfortunately, the current Government's approach is actually helping to make only cosmetic changes. We need a deeper intervention to tackle the tribal issue. Sir, my suggestion is that the Report of the ST Commission should be tabled; it is not yet tabled. The last report was tabled in the year 2019. So, I request you to demand the Commission to table its Report. Sir, after the eleventh Report, no Report is being tabled. So I request the same. Sir, I am a new Member; I have one more thing to say.

SHRI BINOY VISWAM (Kerala): Sir, he is a new Member, this is his maiden speech.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You want to make it your maiden speech, please continue.

SHRI SANDOSH KUMAR: Sir, I do not want to take much of your time.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, this is your maiden speech; you may continue your speech.

SHRI SANDOSH KUMAR: Sir, the tribals constitute 8 per cent of the total population whereas if you take into account the total number of poor people in India, tribals constitute 25 per cent of poor people. So, that is the most important issue. According to the National Health Survey, 45.6 per cent of the tribes are living in lower income brackets. So, Sir, we have to solve this issue. Sir, unfortunately, development helps other sections to improve their livelihoods whereas development makes Adivasis

victims. Sir, due to development, victimization is taking place on one side, where there is displacement from home land and tribal lands whereas development is helping other sections to improve their livelihood. The infrastructure development is badly affecting the lives and livelihood of tribals in this country. So, we need a very serious intervention. Unfortunately, the approach of the current Government is not helping us to achieve that. So, I request you to compel the Government to intervene in this matter very seriously and to promote the cause of STs in this country. Thank you, Sir.

श्री संजय सिंह (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली) : मान्यवर उपसभापति जी, सबसे पहले तो मैं इस बिल का समर्थन करता हूं कि डार्लोंग कम्युनिटी को आपने आदिवासी कम्युनिटी में शामिल करने का फैसला लिया। लेकिन इसके साथ-साथ अभी पिछले दिनों जंतर-मंतर पर त्रिपुरा के तमाम आदिवासियों ने आन्दोलन किया था। प्रद्युत्त जी उनके एक नेता हैं, उन्होंने आन्दोलन किया था। त्रिपुरा के अंदर आदिवासियों के लिए भारतीय जनता पार्टी की वहां की सरकार ने सांस्कृतिक, राजनैतिक और सामाजिक अधिकारों की रक्षा का जो वायदा किया था, पहाड़ों में रहने वाले आदिवासियों के लिए जो वायदा किया था, उस वादाखिलाफी के खिलाफ वह आन्दोलन हुआ था। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से यह भी अनुरोध करूंगा कि उनके मुद्दों पर आप गम्भीरतापूर्वक विचार करके, राज्य सरकार से संवाद करके उनका समाधान कराने की कोशिश करें।

मान्यवर, मैं दूसरा विषय कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा। सहरिया कम्युनिटी ललितपुर में उत्तर प्रदेश के अंदर है। 2006 में जब वन अधिकार अधिनियम हिन्दुस्तान के अंदर आया, उसके बाद उन कम्युनिटीज़ के लिए कहा गया कि ये लोग जहां पर रहते हैं, उन्हें उनकी जमीन पर पट्टे का अधिकार दिया जाएगा। 2006 से लेकर आज तक उन्हें ब्लॉक से क्लियरेंस मिल गयी, तहसील से क्लियरेंस मिल गयी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनकी सारी बातें मानता है, बावजूद इसके आज तक उस सहरिया कम्युनिटी को ललितपुर के इलाके में पट्टा नहीं मिल पाया, उन्हें जमीन नहीं मिल पाई। वहां की राज्य सरकार से बातचीत करके इसकी ओर भी माननीय मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आप कानून बनाइये, दूसरी जातियों को, जो ट्राइबल्स में आना चाहते हैं, उन्हें अधिकार भी दीजिए, लेकिन इसके साथ-साथ उनकी पीड़ा को कैसे दूर कर सकते हैं, उस पर भी गम्भीरता से काम कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपसभापति : धन्यवाद, संजय जी। माननीय अशोक सिद्धार्थ जी। **...(व्यवधान)...** प्लीज़, आप लोग आपस में बात न करें।

श्री अशोक सिद्धार्थ (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभापति महोदय, हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माता, बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर जी ने SC/ST के लोगों के लिए भारतीय संविधान में आरक्षण की व्यवस्था -- चाहे वह सरकारी नौकरियों में हो या शिक्षा में हो या

फिर विधायिका में हो -- इस नीयत से देने का काम किया था कि इससे उनका सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास होगा, लेकिन आजादी के 73 साल बीत जाने के बाद भी भारत सरकार में सरकारी नौकरियों में जो 15 परसेंट SC का रिजर्वेशन है और 7.5 परसेंट ST का रिजर्वेशन है, आज तक सरकार ने केन्द्र सरकार में उनको 50 परसेंट से भी कम हिस्सेदारी देने का काम किया है। OBC से SC में convert करने या SC से ST में convert करने का काम निश्चित रूप से ठीक है, मैं इसका समर्थन करता हूँ और मैं इस बिल का भी समर्थन करता हूँ, लेकिन आबादी में जितनी संख्या में उनको OBC से SC में convert किया जाए या SC से ST में convert किया जाए, आरक्षण की व्यवस्था में उनकी उतनी हिस्सेदारी भी बढ़ाई जानी चाहिए। यह सरकार से हमारी पार्टी की एक माँग है।

महोदय, हमारी दूसरी माँग यह है कि अभी तक SC/ST का रिजर्वेशन पूर्ण नहीं हुआ है। जब 2007 से 2012 के बीच हमारी पार्टी की मुखिया, आदरणीया बहन जी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, तो उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में 30 परसेंट रिजर्वेशन देने का काम किया था। उन्होंने सरकारी contract में रिजर्वेशन देने का काम किया था। उन्होंने सरकारी contract में भी 30 परसेंट रिजर्वेशन देने का काम किया था। साथ ही साथ उन्होंने SC/ST के लोगों के लिए शहरों में 'मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना' के अंतर्गत दो कमरे का पक्का मकान देने का काम किया था और गाँवों में 'महामाया आवास योजना' के नाम से यह काम करने का काम किया था। मेरा इस सरकार से एक अनुरोध है। चाहे OBC की जो demand है कि OBC को SC में convert करने का काम किया जाए या फिर SC से ST में convert करने का काम किया जाए, चाहे वह केन्द्र सरकार में हो या राज्यों में हो, आबादी के हिसाब से जो conversion किया जा रहा है, जो change करने का काम किया जा रहा है, मेरा सरकार से यह निवेदन है कि वह इसको change करते समय, उनकी स्थिति को बदलने के समय खास तौर से ठीक नीयत से काम करे। अगर ठीक नीयत से नीतियाँ बनाई जाएँगी, तो निश्चित रूप से समाज का भला होगा। मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में backlog के माध्यम से 2007 से 2012 के बीच लाखों लोगों को सरकारी नौकरियाँ देने का काम किया गया था, यहाँ तक कि सफाईकर्मियों के नाम पर 1,08,000 से ज्यादा भर्ती करने का काम किया गया था, मैं यह चाहता हूँ कि यह सरकार केन्द्र सरकार में भी backlog के माध्यम से SC/ST/OBC का quota भरने का काम करे और जो तमाम concerned States हैं, जहाँ पर SC/ST का quota अभी पूर्ण नहीं है, वे उस quota को पूर्ण करने का काम करें।

इन्हीं बातों के साथ, मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करता हूँ कि वे अपने जवाब में इस बात का जवाब दें कि क्या वे इस सदन में इस quota को पूर्ण करने का आश्वासन देंगी? इसके साथ ही, मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत!

श्री उपसभापति : धन्यवाद, अशोक जी। आपकी बातें महत्वपूर्ण हैं, पर यह बिल त्रिपुरा के बारे में है। माननीय श्री राम विचार नेताम।

श्री राम विचार नेताम (छत्तीसगढ़): धन्यवाद, महोदय। धन्यवाद एक तो इसलिए कि हो सकता है कि इसके बाद मुझे बोलने का अवसर ही न मिले! इसलिए आपकी कृपादृष्टि बनी रहे, क्योंकि

एक तरह से मैं एक अंतिम वक्ता के रूप में बोल रहा हूँ और मैं इसे इस सदन में अपने कार्यकाल का अंतिम भाषण मान कर चल रहा हूँ।

श्री उपसभापति : नेताम जी, maiden speech का तो प्रावधान है, आपका अंतिम भाषण भी हम लोगों ने सुना है। आप विषय पर बोलिए।

श्री राम विचार नेताम : महोदय, मेरी maiden speech तो हुई, लेकिन इसको farewell speech मान लिया जाए।

श्री उपसभापति : प्लीज़, आप विषय पर बोलिए।

श्री राम विचार नेताम : महोदय, मैं अभी बड़े गौर से हमारे बाकी माननीय सदस्यों की बातों को सुन रहा था। यह बिल त्रिपुरा पर केन्द्रित है। हमारी सरकार ने गाँव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, उनके दुख-दर्द की चिंता करते हुए, उनकी सामाजिक स्थिति कैसे मजबूत हो, बहुत सारे tribal areas की जो स्थिति है, उसमें कैसे सुधार हो, इन सब विषयों पर काम किया है। साथ-साथ ये सब काम तो हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी जातियाँ हैं, जो देश की आजादी के इतने सालों बाद तक, पूरे समय यह माँग करती रहीं। न जाने कितने सालों तक राज करने वाले उधर बैठे हुए लोगों को ज़रा भी चिंता नहीं थी कि त्रिपुरा में भी कुछ ऐसी जातियाँ हैं, अन्य राज्यों में भी कुछ ऐसी जातियाँ हैं, जिनको आदिवासियों की सूची में शामिल करना जरूरी है! अब अगर ये जातियां आज तक SC/STs की सूची में शामिल नहीं हुईं, तो क्या उसके लिए हम जिम्मेवार हैं? अभी आप बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे, मैं सुन रहा था, बंगाल के हमारे कुछ मित्र बोल रहे थे, अन्य राज्यों के मित्रगण भी बोल रहे थे। मैं तो ऐसा मानता हूं, हमारे गांव में ऐसा बोलते हैं, 'सूप बोले तो बोले, छलनी भी बोलने लगी', जिसमें इतने सारे छेद हैं। क्या * को हम भूल सकते हैं कि * में किस तरह से हमारे आदिवासियों और अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों के साथ बर्बरता हो रही है? वहां इस प्रकार से अन्याय और अत्याचार की पराकाष्ठा हो रही है, जिसे देख कर शर्म आ जाए। देश की आज़ादी में आज...**(व्यवधान)**...

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY (West Bengal): Sir, I have a point of order.

श्री उपसभापति : एक मिनट, नेताम जी, इनका प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है।

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: Sir, I have a point of order. MR. CHAIRMAN said that nobody should utter the name of any State. No State should be mentioned. In spite of the direction of the Chair, the hon. Member is making allegations against the State.

---

* Expunged as ordered by the Chair.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We will examine it. ...*(Interruptions)*... Please, please...*(Interruptions)*...

श्री राम विचार नेताम : महोदय, मैं बिल पर ही बात कर रहा हूं। शुरुआत इन्होंने की है, तो मुझे उनका जवाब तो देना ही पड़ेगा।...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : यह बिल त्रिपुरा पर है, तो आप त्रिपुरा पर बोलें।

श्री राम विचार नेताम : मैं आपकी ओर ही देख कर बात कर रहा हूं। त्रिपुरा में जब से हमारी सरकार आई है, तब से वह वहां के गांव, गरीब, किसान, मज़दूर और नौजवान के लिए, वहां के डेवलपमेंट के लिए, वहां की संस्कृति को बचाने के लिए, वहां के लोगों को समृद्ध और सम्पन्न बनाने के लिए, वहां के लोगों की empowerment के लिए काम कर रही है। यह उसी की देन है कि जो वंचित लोग थे, उनको अनुसूचित जाति/जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए त्रिपुरा की हमारी सरकार ने प्रस्ताव भेजा और उसी प्रस्ताव के आधार पर हम उनके नाम इस सूची में शामिल कर रहे हैं।

महोदय, यही नहीं, हमारी सरकार ने पूरे देश में, खास तौर पर इस वर्ग के लोगों के लिए जिस प्रकार से काम करना शुरू किया है, उसको आप कैसे नकार सकते हैं? आप सच्चाई को कब तक नकारते रहेंगे? इस सच्चाई को नकारते-नकारते आपकी स्थिति अब ऐसी हो रही है कि लोक सभा में तो अभी तक आपका कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाया और अब लग रहा है कि यहां से भी आप जाने वाले हैं। आपकी यह स्थिति हो गई है, आप मानिए। सच्चाई को आप कब तक नकारते रहेंगे?

महोदय, हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री आज 130 करोड़ लोगों के दिलों पर राज करते हैं, उनके हृदय में बैठे हुए हैं। गरीब, आदिवासी और दलित वर्ग के लोग, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग आज एक तरह से उन्हें भगवान के रूप में देख रहे हैं। यही कारण है *...**(व्यवधान)**.....**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : कृपया आप बिल पर बोलिए। यह त्रिपुरा से संबंधित Constitution Amendment का बिल है।

श्री राम विचार नेताम : महोदय, मैं बिल पर ही बोल रहा हूं। मेरा यही निवेदन है कि हम लोगों ने इसी प्रकार से...**(व्यवधान)**... महोदय, इसको समझना पड़ेगा, सिर्फ आपके प्रस्ताव से या तमाम सभी राज्यों से प्रस्ताव आने पर ही उनके नाम SC/STs की सूची में शामिल नहीं हो सकते है। उसके लिए हमारी जो प्रक्रिया है, वह बहुत जटिल है और उस जटिल प्रक्रिया से ही हमें गुज़रना पड़ता है। पहले scientific तरीके से उसकी पूरी रिसर्च होती है, जांच होती है, तब जाकर RGI

---

* Expunged as ordered by the Chair.

जो रिपोर्ट देता है, उसको examine करने के बाद जो लिस्ट फाइनल होती है, उसी के आधार पर इस काम को किया जाता है।

महोदय, बाकी राज्यों में, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो या छत्तीसगढ़ की बात हो, हमारे छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारी ऐसी जातियां हैं, जिनमें हम मानते हैं कि थोड़ा-थोड़ा सा बिंदी का या उच्चारण का फर्क रहता है। अलग-अलग राज्यों में जातियों के नाम का उच्चारण अलग-अलग होता है, जैसे बंगला भाषा में कुछ जातियों के जो नाम होंगे, हमारे यहां, छत्तीसगढ़ में उसी जाति को दूसरी तरह से बोलेंगे, झारखंड में किसी और तरह से बोलेंगे। असली बात यह है कि जो प्रिंटिंग करने वाले लोग हैं, वे बहुत सारी चीज़ों की भाव-भंगिमा या भाषा को नहीं समझ पाते, लेकिन जब इन पर साइंटिफिक तरीके से रिसर्च होती है, उसके बाद जो रिपोर्ट आती है, उसी के आधार पर यह तय होता है।

महोदय, सिर्फ इस तरह से * देने से, जिस तरह से आप दे रहे हैं या जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, * देते-देते आपकी क्या हालत हो गई है? आप हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी के बारे में तरह-तरह की बातें करते हैं। एक समय में तो आप बोले कि यह जो वैक्सीन आई, यह मोदी वैक्सीन है। बाद में धीरे-धीरे चुपचाप, सबसे पहले आपने ही वह वैक्सीन लगवाई। वैक्सीन तो हम लोगों ने लगवाई, हमारी सरकार वैक्सीन लाई।**...(व्यवधान)...**

श्री उपसभापति : माननीय नेताम जी, आप विषय पर बोलिये।

श्री राम विचार नेताम : इससे सिद्ध हुआ कि यही वैक्सीन जान बचा सकती है।

श्री उपसभापति : माननीय नेताम जी, आप विषय पर बोलिये।

श्री राम विचार नेताम : फिर आपने सबसे पहले लाइन लगाकर वैक्सीन लगवाई। महोदय, मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहा था। छत्तीसगढ़ में ..

श्री उपसभापति : यह त्रिपुरा से जुड़ा हुआ मामला है।**...(व्यवधान)...**

श्री राम विचार नेताम : महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। ट्राइबल का जो कल्चर होता है, उसकी एक समझ होती है, उसकी एक भाषा होती है, उसकी एक संस्कृति है, लेकिन आज उस पर खतरा मंडराने लगा है। चाहे त्रिपुरा की बात हो या अन्य राज्यों की बात हो, मैं सरकार से, माननीय प्रधान मंत्री जी से और माननीय गृह मंत्री जी से अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहा हूं। आज हमारी जातियों और हमारे वर्ग के ऊपर खतरा बढ़ रहा है। एक तरफ धर्मांतरण करने का जो कुचक्र चल रहा है, यह समाज को तोड़ने, हमारी संस्कृति, हमारे आदिवासी कल्चर को समाप्त करने का कुचक्र चल रहा है। हमारी तमाम तरह की जो सुविधाएं होती थीं, हमारा रहन-सहन,

---

* Expunged as ordered by the Chair.

उठना-बैठना, खान-पान, भाषा-बोली आदि पर आज ग्रहण लगने लगा है। मैं समझता हूं कि हमारी सरकार इस ओर विशेष ध्यान देते हुए इन सब चीजों पर प्रतिबंध लगायेगी तथा जो डबल स्टैंडर्ड, डबल सुविधा लेने की बात कर रहे हैं, हमारे नाम से भी ले रहे हैं और दूसरे नाम से भी ले रहे हैं, इस पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं, शायद मुझे इस सदन में फिर से बोलने का अवसर न मिले, परंतु मैं कहना चाहता हूं कि हमारे बहुत सारे आदिवासी समाज की बहन-बेटियों को दूसरे लोग बड़ी तादाद में रख रहे हैं और राजनीतिक दृष्टि, आर्थिक दृष्टि तथा अन्य दृष्टि से तमाम तरह का लाभ ले रहे हैं। इसके लिए भी कानून बनाकर इसे रोकने का काम होना चाहिए।

इसके साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो ट्राइबल्स होते हैं, वे आज जमीर और जमीन के लिए मरते हैं, इन्हें आज बचाने की जरूरत है। हमारा आदिवासी समाज, चाहे त्रिपुरा का हो, चाहे बंगाल का हो, चाहे अन्य राज्यों का हो, यह अपने इतिहास, अपनी संस्कृति और भूगोल के लिए जीता और मरता है, इसे हम कैसे संरक्षित रख सकें, कैसे बचा सकें, यह सोचने की जरूरत है। मैं खुद त्रिपुरा गया हूं, मोर्चा का काम करते हुए मैंने त्रिपुरा के सुदूर अंचल में दौरा करके वहां के आदिवासियों की पीड़ा को देखा है। वहां के जंगल, वहां के पहाड़, वहां की नदियां इतनी खूबसूरत हैं, लेकिन वहां की जो स्थिति है, इतनी खूबसूरती होते हुए भी आज यहां के लोगों ने जाकर वहां के लोगों का शोषण किया, उन सबको बेनकाब करते हुए उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए और उन सबको बेदखल करना चाहिए।

कुछ माननीय सदस्य बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे, मैं यही कहना चाहता हूं कि यह सरकार कोई दूसरी सरकार नहीं है, यह सरकार माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, यह ऐसी-वैसी सरकार नहीं है। इसलिए मोदी है तो मुमकिन है, यह कोई ऐसी बात नहीं है, आप इधर-उधर की बात मत करिये, बताइये कि कारवां कैसे लूटा? आप बता सकते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं -

'अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला,
जिस दीये में जान होगी, वो दीया रह जाएगा।'

धन्यवाद।

श्री उपसभापति : अब माननीय मंत्री, श्रीमती रेणुका सिंह सरुता जी का जवाब।

श्रीमती रेणुका सिंह सरुता : माननीय उपसभापति महोदय, संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022 के द्वारा त्रिपुरा राज्य के डार्लोंग समुदाय को कुकी समुदाय की उपजाति के रूप में सूचित करने का प्रस्ताव है। देश के पूर्वोत्तर में स्थित त्रिपुरा राज्य में जनजातीय समुदाय की संख्या लगभग 11 लाख, 66 हज़ार है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का 31. 76 प्रतिशत अनुमानित है। डार्लोंग समुदाय के इस सूची में शामिल होने के पश्चात् इसको भी जनजातीय समुदाय के रूप में एक पहचान मिलेगी। कुकी समुदाय देश के पूर्वोत्तर राज्य में एक प्रमुख जनजातीय समुदाय है। डार्लोंग समुदाय के इस सूची में शामिल होने के पश्चात् त्रिपुरा राज्य में कुकी समुदाय की 18वीं उप-जनजाति के रूप में इसका समावेश होगा। त्रिपुरा

राज्य में 19 प्रमुख जनजातियाँ हैं। महोदय, कुकी समुदाय की उप-जाति डार्लोंग को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने सम्बन्धी विधेयक पर आज राज्य सभा के कई अनुभवी माननीय सांसदों के सुझाव आये, विचार आये। मैं उनके सुझावों का, उनके विचारों का सम्मान करती हूँ।

माननीय उपसभापति महोदय, आदिवासी समाज, आदिवासी समाज की संस्कृति, उसकी परम्परा, उसकी समस्याएँ एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए, उनकी भलाई के लिए, वे जिस क्षेत्र में रहते हैं, उन क्षेत्रों के विकास के लिए तथा उनकी संस्कृति और परम्पराओं की रक्षा के लिए 1999 में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अलग से एक मंत्रालय का निर्माण किया था। आज मैं इस सदन में दावे के साथ कह सकती हूँ कि जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए भारत सरकार के जो 41 मंत्रालय हैं, वे अपनी अनेक योजनाओं के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों के विकास और भलाई के काम कर रहे हैं।

महोदय, आज छत्तीसगढ़ से राज्य सभा की सदस्य, मेरी बहन श्रीमती फूलो देवी नेतम, श्री माणिक साहा, डा. सांतनु सेन, श्री एम. मोहम्मद अब्दुल्ला, श्रीमती ममता मोहंता, श्री बी. लिंग्याह यादव, श्री अयोध्या रामी रेड्डी आला, डा. एम. थंबीदुरई, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री संदोष कुमार, श्री संजय सिंह, श्री अशोक सिद्धार्थ तथा आदरणीय श्री राम विचार नेताम, जो कि स्वयं छत्तीसगढ़ से ही हैं, इन सभी ने अपने-अपने सुझावों को शामिल करते हुए इस विधेयक पर अपना समर्थन दिया है।

महोदय, फूलो देवी नेतम जी छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र से आती हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ की कई जातियों के बारे में, जिनको अनुसूचित जनजाति में शामिल करना है, उनके सम्बन्ध में यहाँ पर कहा है। मैं उनको आश्वस्त करती हूँ कि हमारी सरकार, हमारा मंत्रालय, माननीय प्रधान मंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में तथा माननीय अर्जुन मुंडा जी स्वयं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा सहित भारत देश के जिन राज्यों से भी आदिवासियों की सूची में शामिल की जाने वाली जातियों के जो प्रस्ताव हैं, उन सब पर बहुत गम्भीर हैं। इसके लिए बार-बार हमारी बैठकें हो रही हैं तथा इसके जो प्रपोज़ल्स हैं, जो प्रस्ताव हैं, जो कि अधूरे हैं, उनके लिए हम राज्य सरकारों से लगातार बात कर रहे हैं।

महोदय, हमारी बहन फूलो देवी नेतम जी छत्तीसगढ़ के सम्बन्ध में कह रही थीं। मैं बहन फूलो देवी नेतम को यह कहना चाहती हूँ कि जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, तब छत्तीसगढ़ की क्या दुर्दशा थी, क्या स्थिति थी, यह देशवासियों से छिपी नहीं है। जब 2003 में वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो 2003 से लेकर 2018 तक हमारी सरकार ने वहाँ पर छत्तीसगढ़वासियों के विकास के लिए बहुत काम किये और जो बस्तर क्षेत्र है, सरगुजा क्षेत्र है, वहाँ पर नक्सल उन्मूलन के लिए भी बहुत ईमानदारी के साथ प्रयास किया और काम किया।

श्रीमती छाया वर्मा (छत्तीसगढ़) : सर **...(व्यवधान)...**

श्री उपसभापति : प्लीज़, प्लीज़। **...(व्यवधान)...** नहीं, नहीं। **...(व्यवधान)...** आप बिना इजाज़त के बोल रही हैं। **...(व्यवधान)...** आप बिना इजाज़त के बोल रही हैं।

श्रीमती रेणुका सिंह सरुता : महोदय, वहाँ पहले 16 जिले हुआ करते थे। हमने बस्तर क्षेत्र में पहले बीजापुर और नारायणपुर को जिला बनाया और इसके साथ 2011-12 में हमने एक साथ 9 जिलों का निर्माण किया। इसके साथ-साथ जहाँ से भी पब्लिक की डिमांड आयी, हमने एक साथ 49-49 तहसीलों का निर्माण किया। पहले छत्तीसगढ़ को कोई नहीं जानता था, लेकिन जिस प्रकार 15 सालों में वहाँ का विकास हमारी सरकार ने किया, आज छत्तीसगढ़ देश के नक्शे पर दिखाई देता है। वहाँ पर हरेक क्षेत्र में विकास हुआ। आज मैं जरूर कह सकती हूँ कि 3 सालों से वहाँ पर विकास ठप है। अभी एक छोटा सा bi-election वहाँ हो रहा है, विधान सभा का चुनाव हो रहा है। उस चुनाव में साल्हेवारा नाम से एक ट्राइबल क्षेत्र है।

3.00 P.M.

मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक छोटे से चुनाव को जीतने के लिए वहां के मुख्यमंत्री ने, आपकी पार्टी और आपकी सरकार ने जनता को एक प्रलोभन दिया है कि यदि आपने हमें खैरागढ़ का चुनाव जिता दिया, तो हम इसे 24 घंटे के अंदर जिला बना देंगे। **...(व्यवधान) ...**

श्रीमती छाया वर्मा : *

श्री उपसभापति : माननीय मंत्री जी का ही जवाब रिकॉर्ड में जा रहा है। छाया वर्मा जी, प्लीज़।... **(व्यवधान) ...**

श्रीमती रेणुका सिंह सरुता : महोदय, इन्होंने वर्ष 2018 में जिस तरह से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों में यह कहा था कि यदि यहां हमारी सरकार बनी तो हम 10 दिनों के अंदर यहां के किसानों का कर्ज माफ करेंगे...**(व्यवधान) ...** उसी तरह से आपने छत्तीसगढ़ के एक छोटे से चुनाव में उसे जिला बनाने की घोषणा की है। हमारी बहन ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 2023 में विधान सभा का चुनाव होने वाला है और त्रिपुरा में भी 2023 में ही चुनाव होने वाला है और आप उस चुनाव को ध्यान में रखकर वहां के लोगों का वोट लेने के लिए इस विधेयक को लाए हैं। इसकी एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। हमने कल झारखंड के लिए प्रस्ताव पारित किया। झारखंड की वे जातियां, जिन्हें हमने कल अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया, वे जातियां देश की आजादी के बाद से इंतजार कर रही थीं कि कब सरकार उन्हें अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करेगी। इसी प्रकार से त्रिपुरा की डार्लोंग जनजाति भी इंतजार कर रही थी और यह ऐसी सरकार है, जिसमें जनता की सुनी जाती है और जनता की उम्मीदों को पूरा किया जाता है। आपने छत्तीसगढ़ की जनजातियों की जो चिन्ता की है, उसे बहुत जल्द हमारी सरकार विधेयक के रूप में लेकर आएगी। डा. सांतनु सेन जी ने अपने सुझाव के साथ आदिवासियों की शिक्षा और स्वास्थ्य के संबंध में अपनी चिंता जाहिर की है। मैं जरूर इस बात को कहूंगी कि भारत सरकार की बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं, जिनकी पश्चिमी बंगाल के जनजातीय समाज के लोगों को जरूरत है, लेकिन

* Not recorded.

पश्चिमी बंगाल सरकार की वजह से वहां की जनजातियों को उनका हक हासिल नहीं हो पा रहा है और उन योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। **...(व्यवधान)...** हमारे जिन भी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने प्रदेश की जातियों की बात की, जो अनुसूचित जनजाति में शामिल होना चाहती हैं, उन जातियों के संबंध में आपने अपने विचार यहां पर रखे हैं। मैं आप सबसे यह कहना चाहूंगी कि इस पर राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर हमारी सरकार विचार कर रही है और जैसे ही सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, हम एक-एक करके उन प्रस्तावों को सदन के माध्यम से पारित करेंगे। यहां पर बहुत सारे विषय आए तथा बहुत कम समय में कई सदस्यों ने अपनी बातों को रखा। मैं सबसे पहले तो यह कहना चाहूंगी कि किसी भी जाति के विकास के लिए, किसी भी समाज के विकास के लिए और किसी भी देश के विकास के लिए सबसे पहले यह जरूरी होता है कि उन्हें शिक्षा मिले। हमारी सरकार ने tribal क्षेत्र के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए 'एकलव्य मॉडल स्कूल' का गठन किया। मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि वर्ष 2013-14 के पूर्व इन 'एकलव्य मॉडल स्कूलों' की संख्या लगभग 167 थी और आज मुझे सदन को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 2021-22 में एकलव्य मॉडल स्कूलों की संख्या 679 है और प्रत्येक स्कूल में 480 बच्चे सीबीएसई कोर्स के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। वहां पर छठी से लेकर बारहवीं तक की पढ़ाई होती है। महोदय, उन बच्चों की बहुत इच्छा रहती थी कि हम जिस स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, उस स्कूल की बिल्डिंग बड़ी हो, वहां playground हो। मुझे सदन को यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि पहले हम 'एकलव्य मॉडल स्कूल' की बिल्डिंग 20 करोड़ में बनाया करते थे और अब वहां पर 38-38 करोड़ की एक-एक बिल्डिंग का निर्माण होगा। जिस प्रकार से जवाहर नवोदय विद्यालय के स्कूल रहते हैं और सेन्ट्रल स्कूलों की बिल्डिंग्स रहती हैं, ठीक उसी तर्ज पर हमारे ये स्कूल होंगे। हमारी बहन कह रही थी कि हमारे विभाग का बजट कम हो गया है। मैं बताना चाहती हूं कि हमारा बजट कम नहीं हुआ है। मैं जरूर कहूंगी कि वर्ष 2013-14 में ट्राइबल मंत्रालय का बजट 19,437 करोड़ रुपए था... लेकिन 2022-23 का जो बजट है, उसमें इस मद में 87,585 करोड़ रुपए का प्रावधान है।**...(व्यवधान)...**

DR. SANTANU SEN: Sir, I have a point of order.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please let her complete. ...*(Interruptions)*.. No, no; please let her complete. ...*(Interruptions)*.. Please, let her continue.

श्रीमती रेणुका सिंह सरुता : महोदय, ट्राइबल क्षेत्रों के विकास के लिए जो ट्राइबल सब-प्लान है, वह 2013-14 में 21,525 करोड़ रुपए का हुआ करता था, आज इसके लिए 85,930 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान हुआ है।**...(व्यवधान)...**

श्री उपसभापति : मेरा सभी माननीय सदस्यों से यह आग्रह है कि वे मिनिस्ट्री पर बोलें। मैंने सभी सदस्यों से बार-बार यह आग्रह किया है।**...(व्यवधान)...**

श्रीमती रेणुका सिंह सरुता : महोदय, पूरे देश में जो जनजाति समाज के लोग हैं, जो वन क्षेत्रों में रहते हैं और जिनका जीवन जंगल के ऊपर निर्भर है,...**(व्यवधान)**...

SHRI BINOY VISWAM: Sir, he has raised a point of order. ...*(Interruptions)*..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*..

श्रीमती रेणुका सिंह सरुता : महोदय, मैं 'वन धन विकास केन्द्र' की चर्चा कर रही हूँ। जो भी माननीय सदस्य ट्राइबल क्षेत्र में रहते हैं, जहाँ पर आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, जिनका जीवन जंगल पर आधारित है, मैं ऐसे माननीय सदस्यों को यह बताना चाहती हूँ कि 2019 के लोक सभा चुनाव के समय हमारी पार्टी ने कहा था कि हम पूरे देश भर में 50,000 'वन धन विकास केन्द्र' खोलेंगे। आज 36,000 से भी ज्यादा 'वन धन विकास केन्द्र' खुल चुके हैं। कोरोना के कारण दो साल हमारा काम जरूर प्रभावित हुआ, लेकिन आज 2022 में 36,000 से भी ज्यादा 'वन धन विकास केन्द्र' खुल चुके हैं और कई लाख ट्राइबल्स को इनका लाभ मिल चुका है। एक-एक 'वन धन विकास केन्द्र' में तीन-तीन सौ लोगों की संख्या होती है। उसमें 60 प्रतिशत ट्राइबल्स रहते हैं और 40 प्रतिशत अदर समाज के लोग रहते हैं। उनके आस-पास जो भी वन उपज मिलती है, उन वन उपजों को संग्रह करके, उनके मूल्य संवर्द्धन के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है। उनके लिए एक बिल्डिंग का भी निर्माण किया जाता है। वे जिन सामानों का निर्माण करते हैं, उनकी अच्छी पैकेजिंग होती है, उनकी launching होती है और उनके लिए मार्केट की व्यवस्था की जाती है। जो ट्राइबल कभी मजदूर हुआ करते थे, आज हमारी सरकार की यह मंशा है, माननीय प्रधान मंत्री जी की मंशा है कि हम उन मजदूरों को मालिक बनाएँगे और उन्हें मालिक बनाने के लिए ट्राइबल मंत्रालय माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में 'वन धन विकास केन्द्रों' के माध्यम से काम कर रहा है।

श्री उपसभापति : माननीय मंत्री महोदया, कृपया आप conclude कीजिए।

श्रीमती रेणुका सिंह सरुता : महोदय, हम उनके विकास की चिंता कर रहे हैं, अभी-अभी इस बजट में हमारी सरकार ट्राइबल क्षेत्रों के विकास के लिए 'प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना' लायी है, उसके लिए बजटीय प्रावधान हुआ है। हमने इसके तहत ऐसे गाँवों को चुना है, जहाँ की ट्राइबल जनसंख्या 50 प्रतिशत से ऊपर है। हमारे मंत्रालय ने ऐसे गाँवों के संदर्भ में सर्वे किया, तो यह पता चला कि पूरे देश भर में लगभग 1,47,000 ऐसे गाँव हैं, जहाँ की ट्राइबल जनसंख्या 50 प्रतिशत से ऊपर है। हमने उनमें से 36,000 गाँवों को इस वर्ष इसके अंतर्गत लिया है। उन ग्राम पंचायतों में शत-प्रतिशत विकास के लिए काम किया जाएगा। राज्य सरकार भी उसमें कुछ काम करेगी और जहाँ-जहाँ पर गैप रह जाएगा, उस gap filling के लिए भारत सरकार 'प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना' के माध्यम से काम करेगी।

महोदय, आज त्रिपुरा से संबंधित इस विधेयक पर राज्य सभा के अनुभवी माननीय सांसदों ने अपनी बात रखी है। मैं प्रस्ताव करती हूँ कि इस विधेयक को पारित कर दिया जाए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill further to amend the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950, for inclusion of certain community in the list of Scheduled Tribes in relation to the State of Tripura, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration".

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up Clause-by-Clause consideration of the Bill.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका सिंह सरुता) : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ :

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

The question was put and the motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the Criminal Procedure (Identification) Bill, 2022. Shri Amit Shah to move a motion for consideration of the Criminal Procedure (Identification) Bill, 2022. माननीय अमित शाह।

The Criminal Procedure (Identification) Bill, 2022

&

Amendments for reference of the Criminal Procedure (Identification) Bill, 2022 to a Select Committee

गृह मंत्री ; तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि दांडिक मामलों में शनाख्त और अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए सिद्धदोष और अन्य व्यक्तियों का माप लेने को प्राधिकृत करने और अभिलेखों का परिरक्षण करने और उससे